न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल सदस्य महोदय, ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक – /2018निगरीन

निगरानी – 5080/2018/उज्जैन/भू.रा.

माणकलाल पिता भेरूलाल राठौड़ जाति तेली
निवासी ग्राम रणावदा तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

.....आवेदक

विरुद्ध

रूखमाबाई पति अशोक राठौड़ जाति तेली
निवासी ग्राम रणावदा तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

.....अनावेदक

पुर्नरिक्षणआवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भु0रा0स0 न्यायालय नायब तहसीलदार बडनगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के पिठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 4 अ 70 /2016–17 में पारित आदेश दिनॉक – 0 4/06/2018 से क्षुब्ध होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की और से पूर्नरिक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित सविनय प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

ग्राम रणावदा तहसील बडनगर मे एक शामलाती भुमि खाता कृषकगण भैरूलाल पिता धन्ना , कमलाबाई , समन्दरबाई पिता धन्ना , बादामबाई पिता सागरमल व अर्जुनलाल , अशोक , परसराम पिता समरथलाल जाति तेली का स्थित है जिसके मुल पुरूष धन्नालाल जी है उक्त खाते का कोई बंटवारा राजस्व न्यायालय मे नही हुआ है उसके उपरान्त भी सहकृषक अशोक व अर्जुन ने आवेदक के पिता के स्वत्व को नष्ठ करने की गरज से शुन्यवत विकय विलेख स्वंय अशोक की पत्नी रूखमाबाई अनावेदक के नाम से करवा दिया है जिसमे सहकृषक भैरूलाल द्वारा नामान्तरण आपत्ती की जो वर्तमान मे अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन के समक्ष विचाराधीन है साथ ही वादग्रस्त भुमि के खाते में आवेदक पिता ने एक वाद स्वत्व घोषणा एंव निषेधाज्ञा का अनावेदक तथा उनके पति एवं अन्य के विरूध्द न्यायालय

निरन्तर..02पर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5080/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिसीलन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनायी जाकर अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत धारा 250 (3) म.प्र. भू-राजस्व संहिता के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण का अंतिम निराकरण होने तक भूमि सर्वे नं. 350 रकवा 0.11 हे. पर से आवेदक का आधिपत्य हटवाया जाकर अनावेदिका को उसका आधिपतय प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए हैं। चूंकि प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदन को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलबध है। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	